



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण National Highways Authority of India

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

(Ministry of Road Transport & Highways)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई - बेंगलूरु (एक्सप्रेसवे)

Project Implementation Unit - Bengaluru (Expressway)

84/11, उत्तरहल्ली मेन रोड, केंगेरी, बेंगलूरु - 560 060.

84/11, Uttarahalli Main Road, Kengeri, Bengaluru - 560 060.

E-mail : piubangalore@nhai.org



NHAI/11015/NH-7/2025-26/PIU-BNG(EXP)/1555

02.02.2026

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण INVITATION OF PUBLIC COMMENTS

विषय: सिग्नल फ्री एलिवेटेड हाईवे परियोजना का संचालन, रखरखाव और शुल्क संग्रह कार्य (सिल्क बोर्ड जंक्शन से इलेक्ट्रॉनिक सिटी जंक्शन तक (किमी 8/765 से किमी 18/750)) तथा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से अत्तिबेले (कर्नाटक/तमिलनाडु सीमा) तक सिक्स लेनिंग (किमी 18/750 से किमी 33/130) बेंगलूरु-होसुर खंड एनएच-7 पर - **कर्नाटक राज्य में एचडीडी विधि द्वारा एनएच-44 (पुराना एनएच-7) के बेंगलूरु-होसुर खंड पर (i) Km.20+450 से Km.21+910 तक LHS पर 990m लंबाई के लिए, (ii) Km.23+210 से Km.24+200 तक LHS पर 1460m लंबाई के लिए, (iii) Km.23+510 से m.23+610 तक RHS पर 100m लंबाई के लिए, और (iv) Km.23+730 से m.24+200 तक RHS पर 470m लंबाई के लिए सीवर पाइपलाइन बिछाने की लिए आर ओह डब्ल्यू अनुमति जारी करना हेतु। - सार्वजनिक टिप्पणियों के आमंत्रण के संबंध में।**

Sub: Operation, Maintenance and Fee collection of Elevated Highway Project from Silk Board Junction to Electronic City Junction (Km 8/765 to Km 18/750) and Six laning from Electronic city to Attibele (Karnataka/Tamil Nadu Border) (Km 18/750 to Km 33/130) on Bengaluru-Hosur section of NH-7 - **Issue of ROW permission for laying of sewer line pipelines along Bengaluru-Hosur Section of NH-44 (Old NH-7) (i)from Km.20+450 to Km.21+910 on LHS for a length of 990m, (ii) from Km.23+210 to Km.24+200 on LHS for a length of 1460m, (iii) from Km.23+510 to Km.23+610 on RHS for a length of 100m and (iv) from Km.23+730 to Km.24+200 on LHS for a length of 470m by HDD method in the state of Karnataka - Invitation of Public Comments - reg.**

संदर्भ: KUWS&DB पत्र संख्या. KWB/EE-BNG/TEC/AE-3/Bommasandra-UGD/1780/2025-26 dt.14.01.2026

Ref: KUWS&DB letter No. KWB/EE-BNG/TEC/AE-3/Bommasandra-UGD/1780/2025-26 dt.14.01.2026

के.यू.डब्ल्यू.एस.और.जेड.बी, बेंगलूरु ने संदर्भित पत्र के माध्यम से कर्नाटक राज्य में एचडीडी विधि द्वारा एनएच-44 (पुराना एनएच-7) के बेंगलूरु-होसुर खंड पर (i) Km.20+450 से Km.21+910 तक LHS पर 990m लंबाई के लिए, (ii) Km.23+210 से Km.24+200 तक LHS पर 1460m लंबाई के लिए, (iii) Km.23+510 से m.23+610 तक RHS पर 100m लंबाई के लिए, और (iv) Km.23+730 से m.24+200 तक RHS पर 470m लंबाई के लिए सीवर पाइपलाइन बिछाने की लिए आर ओह डब्ल्यू अनुमति जारी करनेकी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

.....2

C:\USERS\ACER\ONEDRIVE\DESKTOP\NHAI.DOCX

KUWS&DB, Bengaluru vide letter under reference, has submitted the proposal for laying of sewer line pipelines along Bengaluru-Hosur Section of NH-44 (Old NH-7) (i) from Km.20+450 to Km.21+910 on LHS for a length of 990m, (ii) from Km.23+210 to Km.24+200 on LHS for a length of 1460m, (iii) from Km.23+510 to Km.23+610 on RHS for a length of 100m and (iv) from Km.23+730 to Km.24+200 on LHS for a length of 470m by HDD method in the state of Karnataka.

मंत्रालय के परिपत्र संख्या RW/NH-33044/29/2015/S&R (R) दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन द्वारा प्रस्ताव को 30 दिनों के लिए सार्वजनिक मंच पर रखा जाना चाहिए ताकि जन असुविधा, सुरक्षा और व्यापक जनहित के आधार पर दावे और आपत्तियाँ आमंत्रित की जा सकें।

As per para-4 of Ministry Circular No. RW/NH-33044/29/2015/S&R (R) dated 22.11.2016; Highway Administration, the proposal shall be put out in the Public Domain for 30 days for seeking claims and objections. (On grounds of Public inconvenience, safety and general public interest).

उपरोक्त के संदर्भ में, मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार, उल्लेखित प्रस्ताव पर प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं। आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं, जो प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिए। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त टिप्पणियाँ स्वीकार नहीं की जाएंगी।

In view of the above, the comments/objections of affected public are hereby invited with reference to Ministry's Circular dated 22.11.2016 for the above mentioned proposal. The objections/comments may be addressed to the below mentioned address, which should reach this office within 30 days from the date of publication beyond which no comments shall be entertained.

महाप्रबंधक (तकनीकी) एवं परियोजना निदेशक

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

परियोजना कार्यान्वयन इकाई,

सर्वेक्षण संख्या 84/11, उत्तरहल्ली मेन रोड, केंगेरी,

बेंगलुरु-560060।

ई-मेल: piubangalore@nhai.org एवं piubngexpressway2022@gmail.com

The General Manager (Tech) &

Project Director

National Highways Authority of India,

Project Implementation Unit,

Sy.No. 84/11, Utharahalli Main Road, Kengeri, Bengaluru-560060.

E-mail: piubangalore@nhai.org & piubngexpressway2022@gmail.com

यह सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के साथ जारी किया गया है।
This issue with the approval of Competent Authority.

डी. अर्चना

(डी. अर्चना)(D Archana)

महाप्रबंधक (तकनीकी) एवं परियोजना निदेशक
एन.एच.ए.आई, पीआईयू-बेंगलुरु (एक्सप्रेसवे)
GM (Tech.) & Project Director
NHAI, PIU-Bengaluru (Expressway)

CC:

1. The Web Admin, NHAI-HQ, New Delhi - for uploading on NHAI website.
वेब एडमिन, एनएचएआई-मुख्यालय, नई दिल्ली - एनएचएआई वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2. The Senior Technical Director, NIC, Transport Bhawan, New Delhi - for uploading on Ministry's website.
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, ट्रांसपोर्ट भवन, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. KUWS&DB, Bangalore - for information.
के.यू.डब्ल्यू.एस.और.जेड.बी, बेंगलुरु - सूचना हेतु।